

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण संख्या:- 83/14

दायर दिनांक:- 30.07.2014

जीसीएमएस नं. 2014/00321

उनवान

रामखिलाडी पुत्र सुक्की जाति माली निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला
करौली राजस्थान

—वादीगण-09

बनाम

प्रभाती पुत्र कंदन जाति माली निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

—प्रतिवादीगण-10


दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:-

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एव वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एव वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एव वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 07.03.2017 से कायम मुकाम में विचाराधीन चल रहा है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एव वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा न0 83/14 रामखिलाडी बनाम परभाती अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायलय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली